विस्तार के लिये 19 जून, 1954 में एक अनुज्ञापन और दूसरा अनुज्ञापन प्लास्टिक/विरोजा चढ़े कागज तथा गत्ते की क्षमता के विस्तार के लिये 1 जुलाई, 1954 को जारी किया गया था।

3. **मैसर्स केशो राम इण्डस्ट्रीज (रेयन कोटि की लुगदी) :**

रेयन कोटि की लुगदी के लिये इस एकक को कोई अनुज्ञापन जारी नही किया गया।

4. **मैसर्स सेंचुरी केमिकल्स :**

इस कम्पनी को कोई अनुज्ञापन जारी नहीं किया गया। अलबत्ता इन्हें दो आशय पत्र जारी किये गये थे, एक 22 फरवरी, 1967 को और दूसरा 25 मार्च, 1967 को, किन्तु इन दोनों को रद्द किया जा चुका है।

5. **मैसर्स हिन्दुस्तान एलोमीनियम कम्पनी :**

एलोमीनियम इन्गाट्स के निर्माण के लिये एक नये एकक की रेनुकोट (उत्तर प्रदेश) में स्थापना हेतु एक अनुज्ञापन 26 सितम्बर, 1959 को जारी किया गया था और एलोमीनियम कन्डक्टर रिड्डा राड्स और रोल्ड उत्पादों को नई वस्तुओं के रूप में उत्पादन करने के लिये एक लाइसेंस 19 जुलाई, 1960 को जारी किया गया था। तत्पश्चात इस एकक की क्षमता के विस्तार के लिये तीन अनुज्ञापन 1 जनवरी, 1963, 26 दिसम्बर, 1963 और 6 दिसम्बर 1966 को जारी किये गये थे।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अधिक शक्ति वाली मोटरों का निर्माण

*509. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स में अधिक शक्तिशाली मोटरों का निर्माण करने का निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हैवी इलैक्ट्रीकल्स इक्विपमेंट प्लान्ट, हरद्वार जो भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० का एक एकक है, ये निम्नलिखित परासों की मझोले तथा बड़े आकार की बिजली की मशीनों के उत्पादन की योजना बनाई है :

मझोले आकार की विद्युत मशीनें :

ए० सी० मोटरें 100 किलोवाट से 00 किलोवाट तक डी० सी० मोटरें 20 किलोवाट से 225 किलोवाट तक	पूर्ण क्षमता 5.15 लाख किलोवाट प्रतिवर्ष

बड़े आकार की विद्युत् मशीनें

ए०सी० मोटरें 70 किलोवाट से 1,00,000 किलोवाट डी०सी० मोटरें 215 किलोवाट से 80,000 किलोवाट	पूर्ण क्षमता 5.15 लाख किलोवाट प्रतिवर्ष

Prohibition in Union Territories

*510. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether any measures have been taken by Government to extend the scope and area of prohibition in the Union Territories on the occasion of the Gandhi Centenary celebration ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE [DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA]: (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table House in due course.

Requirement of Rails

3201. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) whether any study has been made by